

**संकल्प**

विषय :- नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत संचालित अमृत योजना के लिए तैयार किये जाने वाले राज्य वार्षिक योजना कार्यक्रमों में युवा छात्रों को Interns के रूप में संबद्ध किये जाने के संबंध में।

SUDA/AMRUT/Internship Guidelines/50/2016/283 (अनु.) दिनांक 18.04.2016 द्वारा अमृत परियोजना के तहत Internship Guidelines, 2016 का गठन किया गया था। इन Guidelines के तहत निकाय स्तर में विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के संचालन में शिक्षित युवाओं की सीधी भागीदारी देने का उल्लेख है। इन Guidelines के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत भारतीय छात्रों को 2 माह के Internship में ₹ 10,000/- एवं ₹ 15,000/- क्रमशः एक मुश्त Stipend देने का प्रावधान है।

2. Internship Guidelines, 2016 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है, ताकि Interns की संख्या बढ़ाई जा सके :-

S.N.	Existing Clause	Revised Clause	Remarks
1.	Clause 4 Indian students pursuing Graduation/Post Graduation/ Research Courses in the universities/ Institutions duly empanelled by the Department and specializing in areas related to Engineering, Management, Finance, Town Planning, Environmental Engineering, Other Social Sciences, Social work etc. shall be eligible for consideration as Interns.	Clause 4 indian students pursuing Graduation/Post Graduation/ Research Courses in the universities/ Institutions duly empanelled by the Department and specializing in areas related to Engineering, Management, Finance, Town Planning, Environmental Engineering, Other Social Sciences, Social work etc. shall be eligible for consideration as Interns. Further Students having domicile of Jharkhand and studying elsewhere in any part of India will also be eligible to apply for Internship. In this type of case, domicile certificate has to be produced. In cases when seats remain vacant, other candidates may also be selected.	झारखण्ड में निवास करने वाले छात्रों, जो दूसरे राज्य में अध्ययनरत हैं, को भी अवसर प्रदान किया जायेगा साथ ही रिक्त सीटों (Vacant Seats) के लिए अन्य छात्रों को भी अवसर प्रदान किया जाएगा।
2.	Clause 7 i. The duration of Internship shall be of at least 40 days (8 weeks x 5 days) and not exceeding two months.	Clause 7 i. The duration of the internship may be for 2 months or 1 month or 15 days during anytime of the year.	Existing Clause में केवल Summer Vacation में ही Internship का कार्य हो पाता, परंतु विचारोपरांत इसे वर्ष में किसी भी समय आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा दो माह, एक माह एवं पंद्रह दिनों के लिए किया जायेगा।
3.	Clause 11 i. The Undergraduate/graduate and post graduate Interns shall be paid a consolidated stipend of Rs.10,000/- and Rs. 15,000/- respectively for the entire duration of the Internship.	Clause 11 i.a The Undergraduate/Graduate interns shall be paid a stipend of 10000 for a period of 2 months, a stipend of 5000 for a period of 1 month and a stipend of 2500 for a period of 15 days. 11 i.b The Post graduate interns shall be paid a stipend of 15000 for a period of 2 months, a stipend of 7500 for a period of 1 month and a stipend of 3750 for a period of 15 days.	Internship के अवधि के अनुसार Stipend को भी तीन वर्गों में बांटा गया है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग समय-समय पर आवश्यकतानुसार इस Guidelines के Internship Duration, Internship Emoluments एवं No. of Positions में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
4. Internship हेतु देय वृत्तिका से वार्षिक रूप से अधिकतम ₹ 6,30,000/- (छः लाख तीस हजार) रुपये मात्र (42 छात्र × ₹ 15,000/- = ₹ 6,30,000/-) का व्यय भार आएगा जो अमृत योजना अंतर्गत A&OE मद से व्यय किया जायेगा।
5. Internship Guidelines, 2016 में आवश्यक संशोधन करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 4632 दिनांक 19/07/17 द्वारा Revised Internship Guidelines, 2017 द्वारा अधिसूचित की गई है। इसके लागू होने के उपरांत झारखण्ड एवं अन्य राज्य के विद्यार्थियों Internship कर सकेंगे।
5. इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2017 में मद संख्या 6 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

( अरुण कुमार सिंह )

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— SUDA/AMRUT/Internship Guideline/50/2016/2075.....<sup>4688</sup> राँची, दिनांक—<sup>21/09/17</sup>

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— SUDA/AMRUT/Internship Guideline/50/2016/2075.....<sup>4688</sup> राँची, दिनांक—<sup>21/09/17</sup>

प्रतिलिपि— माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, जुडको लि०/ अपर सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी आयुक्त, उपायुक्त, झारखण्ड/सभी शहरी स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, विशेष पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।